

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठारीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मु.न.- 63 / 2024

धनपत राम सहारण पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी गाजुवारा तहसील तारानगर जिला चूरु।

- प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

- अप्रार्थी -

दिनांक 13.06.2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना गय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी भाटियान तहसील तारानगर के खसरा सं. 221/34 तादादी 1.6186 हेक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम धनपतराम अंकित है जो गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम धनपत राम सहारण सही हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम धनपत राम सहारण है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थी जमावन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। जमावन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरुस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी भाटियान तहसील तारानगर के खसरा सं. 221/34 तादादी 1.6186 हेक्ट. में प्रार्थी का नाम धनपत राम सहारण किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दिये प्रार्थना पत्र में आई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना नाम धनपतराम की जगह धनपत राम सहारण करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम धनपतराम ही दर्ज है। अतः प्रार्थी धनपतराम की जगह धनपत राम सहारण दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, पहचान पत्र से वादी का दस्तावेजीय नाम धनपत राम सहारण पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी भाटियान तहसील तारानगर के खसरा सं. 221/34 तादादी 1.6186 हेक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि धनपतराम Delete कर इसके स्थान पर धनपत राम सहारण अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक/13/06/24..... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)